

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक. राजपत्रित/डीपीसी/2019/

दिनांक 16.5.19

—: आदेश :-

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2015-16 व 2017-18 में चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की लेवल इन पे मेट्रिक एल-14 स्वीकृत की जाती है :-

क्र स	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि अ. के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1	डॉ. प्रीतम यादव	12 10 1987	11 08 2017	10 08 2018	11 08 2018
2.	डॉ. सुरेश कुमार जाट	15 06 1982	11 08 2017	10 08 2018	11 08 2018
3	डॉ. आशिमा गर्ग	19 09 1989	07 10 2017	06 10 2018	07 10 2018
4	डॉ. सुनील कुमार	01 07 1992	20 07 2017	31 07 2018 (42 EOL)	01 08 2018
5	डॉ. मधुमिता चौधरी	28 11 1990	03 11 2017	02 11 2018	03 11 2018
6	डॉ. अर्चना सिंह	17 08 1987	03 06 2016	28.10 2017 (178 EOL)	29 10 2017
7	डॉ. मनीष जोशी	18 09 1987	06 10 2017	05 10 2018	06 10 2018
8.	डॉ. निखिल शर्मा	14 08 1990	11 08 2017	12 10 2018 (93 EOL)	13 10 2018
9	डॉ. मानवेन्द्र विश्नोई	25 09 1981	28 07 2017	27 07 2018	28 07 2018
10	डॉ. मोहम्मद यासीन	21.10 1992	09 10 2017	08 10 2018	09 10 2018
11.	डॉ. महेश कुमार	11.11 1986	26 07 2017	25 07 2018	26 07 2018
12	डॉ. बसन्ती डाबी	01 12 1982	12 08 2017	28 09 2018 (78 EOL)	29 09 2018
13	डॉ. किरण पोषवाल	01 04 1991	27 07 2017	26 07 2018	27 07 2018
14	डॉ. पल्लवी चौबीसा	14.02.1990	10.05.2017	09 05.2018	10 05 2018
15	डॉ. अभिषेक शर्मा	07 01.1990	27 09.2017	26 09 2018	27 09 2018
16	डॉ. प्रवीण कुमार	20 07.1991	28 07.2017	27 07 2018	28 07 2018
17	डॉ. सुनील कुमार	14 10 1985	25 07.2017	24 07 2018	25 07 2018

18/19

80


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2019/ 228

दिनांक 16-5-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर